

1. सुमन पुत्री आदराम जाति ब्राह्मण निवासी बडविराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 24/3/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बडविराना के खाता संख्या 316/291 की कुल 30.2870हैक् में से 1/48 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मथरा देवी पुत्री आदराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम सुमन पुत्री आदराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम सुमन पुत्री आदराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की गई।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बडविराना के खाता संख्या 316/291 की कुल 30.2870हैक् में से 1/48 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम मथरा देवी पुत्री आदराम के स्थान पर सुमन पुत्री आदराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडविराना के खाता संख्या 316/291 की कुल 30.2870हैक् में से 1/48 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मथरा देवी पुत्री आदराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम सुमन पुत्री आदराम है यही नाम अन्य सभी

दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदाशे अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम सुमन पुत्री आदराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की गई।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीया रोही मौजा बडविराना के खाता संख्या 316/291 की कुल 30.2870हैक् में से 1/48 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थीया का नाम मथरा देवी पुत्री आदराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम सुमन पुत्री आदराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम सुमन पुत्री आदराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नही के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा बडविराना के खाता संख्या 316/291 की कुल 30.2870हैक् में से 1/48 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम मथरा देवी पुत्री आदरामा दर्ज है के स्थान पर मथरा देवी उर्फ सुमन पुत्री आदराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/03/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 57/2021 अनवानी सुमन बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-  
1. सुमन पुत्री आदराम जाति ब्राह्मण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 57/2021 अनवानी सुमन बनाम सरकार में दिनांक 24/03/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 316/291 की कुल 30.2870 हैक् में से 1/48 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम मथरा देवी पुत्री आदरमा दर्ज है के स्थान पर मथरा देवी उर्फ सुमन पुत्री आदराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व )  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ )